तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **सालु बनाम झमु वगैरह, मुकदमा संख्या 148/2014**	
23.07.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा अरणाय के खसरा संख्या 536 रकबा 94 बीघा 04 बिस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 1545 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1546 रकबा 0. 04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1547 रकबा 11.30 हैक्टेयर तजवीज हुए। उक्त आराजी प्रार्थीगण को जरिये उतराधिकारी प्राप्त हुई। जिस पर दिनांक 27.09.1969 से लगातार प्रार्थीगण की माता द्रोपा व द्रोपा की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण आज दिन तक निर्बाध रूप से शांतिपूर्ण कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के नाना बाबरा वल्द अना को कोई जायन्दा पुत्र सन्तान नहीं थी इसलिए प्रार्थीयागण की माता द्रोपा पुत्र के रूप में सदैव उनके साथ रही तथा शुरू से वादग्रस्त आराजी में काश्त कर स्वयं व अपने पिता बाबरा के साथ रहकर सेवा चाकरी की है। बाबरा पुत्र अना की मृत्यु होने पर पिछे वादग्रस्त आराजी का फौतेदगी म्यूटेशन प्रार्थीयागण की माता द्रोपा व अप्रार्थीगण क्रमांक 1 झमु दोनों बहनों के नाम संयुक्त रूप से दाखिल इन्द्राज किया था मगर तत्कालीन समय शादीसुदा अप्रार्थीगण झमु ने दिनांक 27.09.1969 को बहिन द्रोपा द्वारा पिता बाबरा के जीवनकाल में उनके साथ रहकर सेवा चाकरी करने का स्वयं द्वारा अपना हिस्सा नहीं लेना चाहकर स्वैच्छा से ग्राम पंचायत अरणाय के समक्ष अपना हक परित्याग अपने हिस्से का कब्जा राजी खुशी द्रोपा से सरेण्डर कर कब्जा परित्याग कर दिया तब ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त आराजी में स्थित अपना हक हिस्सा व कब्जा परित्याग करने पर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 127 दिनांक 27.09.1969 प्रार्थीयागण की माता द्रोपा के नाम पारित कर उक्त नामान्तरकरण के जरिये वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2026 से 2027 में द्रोपा के जिन्हें जो अकेले द्रोपा के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज रही व द्रोपा की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी की खातेदारी व कब्जा प्रार्थीयागण को उतराधिकारी के रूप में इन्द्राज हुआ। प्रार्थीगण की माता द्रोपा ने पूर्ण सेवा चाकरी की व बाबरा की मृत्यु पर पिछे श्राद्व काज व प्रक्रिया विधि विधान से द्रोपा ने ही सम्पन्न की, सारा खर्चा द्रोपा द्वारा ही वहन किया गया। धीरे धीरे जमीनों के भाव बढ़ जाने से लोभ के वशीभूत होकर प्रार्थीगण की माता द्रोपा की मृत्यु के बाद अप्रार्थी झमू की नियत खराब हो गई तथा झमू ने वादग्रस्त आराजी में स्थित अपना हिस्सा 27.09.1969 परित्याग करने के बावजूद भी न्यायालय में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा का एक राजस्व वाद झमू बनाम सालू वगैरह पेश किया। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीयागण अकेले निवास तथा कब्जा काश्त है वादग्रस्त आराजी में से निस्फ हिस्से का विधि विरूद्व बेचान अप्रार्थी द्वारा 12.06.2012 को करवा दिया अप्रार्थीया संख्या 02 वादग्रस्त आराजी में विधि विहित प्रक्रिया से परे जबरन प्रार्थीयागण को बाहर खदेड़कर बलपूर्वक भौतिक कब्जा प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है तथा उक्त विवादित अवैध व शून्य प्रभाव बैचान रजिस्ट्री की रूह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की मुख्यपीठ से प्रकरण लंबित होते हुए भी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम मुन्तिरित करवाने पर आमादा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में होने से प्रार्थीयागण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में श्रीमान के अदालत के बाद सुनवाई हक तय किया जा चुका है व उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली व राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जो बाद सुनवाई खारिज हो गई है इसलिए श्रीमान की अदालत से प्रार्थीयागण पुनः कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है सो प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद निस्तारण तक इस आशय भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खसरा संख्या 1547 रकबा 11.30 हैक्टेयर में झमू का हिस्सा 7.65 हैक्टेयर तक अप्रार्थीगण रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर एवं फास्ट–ट्रैक मजिस्ट्रेट	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 16:42:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर